"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2017—चैत्र 10, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप जंघेल आत्मज श्री निर्मल जंघेल, जाति लोधी, उम्र 48 वर्ष, निवासी-मकान नं.-40, साल्हेखुर्द, पो. रौंदा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों तथा मेरे नाम पर स्थित भूमि ऋण पुस्तिका में मेरा नाम दुर्जन पिता निर्मल जंघेल दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है. मेरे दो पुत्र तीरथ कुमार जंघेल, हुलाप जंघेल एवं एक पुत्री रेणु जंघेल है, जिसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक खाता इत्यादि में मेरा नाम दिलीप जंघेल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दिलीप जंघेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिलीप जंघेल आत्मज श्री निर्मल जंघेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दुर्जन
पिता श्री निर्मल जंघेल
निवासी-मकान नं.-40, साल्हेखुर्द, पो. रौंदा,
तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दिलीप जंघेल
आत्मज श्री निर्मल जंघेल
निवासी-मकान नं.-40, साल्हेखुर्द, पो. रौंदा,
तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गीता (Geeta) पति श्री विजय कुमार (Vijay Kumar), उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1/ए, सड़क 73, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री विजय कुमार के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश गीता कुमार (Geeta Kumar) दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक व सही नाम गीता है जो कि मेरे आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम गीता रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे गीता पति श्री विजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गीता कुमार (Geeta Kumar)
पति-श्री विजय कुमार
निवासी-क्वा. नं.-1/ए, सड़क 73, सेक्टर 6,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

गीता (Geeta)
पति-श्री विजय कुमार
निवासी-क्वा. नं.-1/ए, सड़क 73, सेक्टर 6,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिनव कुमार सूर्यवंशी (Abhinav Kumar Suryavanshee) पिता श्री विजय कुमार (Vijay Kumar) उम्र 20 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क-73 ,सेक्टर-6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पिता श्री विजय कुमार के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश अभिनव कुमार दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक एवं सही नाम अभिनव कुमार सूर्यवंशी है जो कि मेरे आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम अभिनव कुमार सूर्यवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अभिनव कुमार सूर्यवंशी पिता श्री विजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अभिनव कुमार (Abhinav Kumar)
पिता श्री विजय कुमार
निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क-73 ,सेक्टर-6,
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अभिनव कुमार सूर्यवंशी
(Abhinav Kumar Suryavanshee)
पिता श्री विजय कुमार
निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क-73 ,सेक्टर-6,
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गीता तिवारी पति श्री मुकेश अनिल तिवारी, आयु 43 वर्ष, निवासी-शाप नं. 09 के/4, खुर्सीपारा, जोन-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मेरा नाम गीता मिश्रा आत्मजा श्री अवधेश मिश्रा था तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 2-5-1999 को हिन्दू रीति रिवाज से श्री मुकेश तिवारी आत्मज स्व. अनिल तिवारी के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम गीता तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे गीता तिवारी पति श्री मुकेश अनिल तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
गीता मिश्रा आत्मजा श्री अवधेश मिश्रा निवासी-शाप नं. 09 के/4, खुर्सीपारा, जोन-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	गीता तिवारी (Geeta Tiwari) पति श्री मुकेश अनिल तिवारी निवासी-शाप नं. 09 के/4, खुर्सीपारा, जोन-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भुनेश्वर प्रसाद साहू आत्मज स्व. चन्दूलाल साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-2, अहिवारा नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के रिकार्ड में मेरा नाम भुनेश्वर प्रसाद दर्ज है जो कि मेरा अपूर्ण नाम है. मेरे बैंक खाता, पैनकार्ड एवं आधार कार्ड में मेरा नाम भुनेश्वर प्रसाद साहू दर्ज है जो कि मेरा सही व पूरा नाम है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम भुनेश्वर प्रसाद साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भुनेश्वर प्रसाद साहू आत्मज स्व. चन्दूलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भुनेश्वर प्रसाद (Bhuneswar Prasad) पिता-स्व. चन्दूलाल साहू निवासी-वार्ड नं. 02, अहिवारा नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	भुनेश्वर प्रसाद साहू (Bhuneswar Prasad Sahu) पिता-स्व. चन्दूलाल साहू निवासी-वार्ड नं. 02, अहिवारा नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक जौहरी पिता श्री गंगाराम जौहरी, जाति सूर्यवंशी, उम्र 33 वर्ष, निवासी -एन. टी. पी. सी. टाऊनशीप बी- 448, उज्जवल नगर, सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, ड्रायविंग लायसेंस, जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक पास बुक, पेनकार्ड आर. सी. एवं एन. टी. पी. सी. टाऊनशीप के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अशोक जौहरी पिता श्री गंगाराम जौहरी दर्ज है किन्तु भारत सरकार द्वारा मेरे नाम जारी आधार कार्ड संख्या 682928372698 में मेरा नाम अशोक कुमार जाहिरे दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम अशोक कुमार जाहिरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अशोक कुमारा जाहिरे पिता श्री गंगाराम जाहिरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अशोक जौहरी पिता-श्री गंगाराम जौहरी निवासी-एन. टी. पी. सी. टाऊनशीप बी- 448, उज्जवल नगर, सीपत, तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.)	अशोक कुमार जाहिरे पिता-श्री गंगाराम जाहिरे निवासी-एन. टी. पी. सी. टाऊनशीप बी- 448, उज्जवल नगर, सीपत, तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुब्रत अग्रवाल (Suubrat Agrawaal) पिता श्री डमरूधर अग्रवाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी-सी-22, साउथ एवेन्यू, चौबे कालोनी, रायपुर, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे घासीराम अग्रवाल (Ghasiram Agrawal) पिता श्री डमरूधर अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता था तथा यही नाम मेरे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुब्रत अग्रवाल (Suubrat Agrawaal) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुब्रत अग्रवाल पिता श्री डमरूधर अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
GHASIRAM AGRAWAL S/o Shri Damarudhar Agrawal Resi.- C-22, South Avenue, Choubey colony, Raipur (C. G.)	SUUBRAT AGRAWAAL S/o Shri Damarudhar Agrawal Resi.- C-22, South Avenue, Choubey colony, Raipur (C. G.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 06 मार्च 2017

क्रमांक/उ.पं.दु. /परिसमापन/2017/378.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस्पात ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 154 जिला दुर्ग को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 140 दुर्ग दिनांक 19-01-2017 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया. संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की संस्तुती की गई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत इस्पात ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 154 जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाता हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. तराने, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता हैं.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (क) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/443.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/951 दिनांक 23-03-2015 के तहत् छ. ग. महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिंधी कालोनी, बिलासपुर पं. क्र. 131 दिनांक 04-07-2002 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बंदे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थापक, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत छ. ग. महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिंधी कालोनी, बिलासपुर पं. क्र. 131 दिनांक 04-07-2002 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूॅं.)

यह आदेश आज दिनांक 20-02-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बैकुंठपुर जिला कोरिया (छ. ग.)

बैकुंठपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्रमांक/स. प. स. /परि./2017/99.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) क-ख के तहत निम्न समितियों को कारण बताओं सूचना जारी किया गया था. समितियों द्वारा समयावधि में अपना प्रति उत्तर प्रस्तुत किये है. जिसमें परिसमापन किये जाने की मांग की गई है.

अतएव मैं एम. एक्का सहायक पंजीयक सहकारी समितियां बैकुंठपुर जिला कोरिया, छ. ग.सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/4/रायपुर दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए निम्न समिति (कालम-2) को परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत कालम 4 में अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	एन. सी. पी. एच. कालरी कर्मचारी सहकारी उप. मंगर मर्या. न्यूचिरमिरी	1256/21-8-1963	श्री विद्यमान सिंह व. स. नि.
2.	खान कर्मचारी कर्जदात्री थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्या. कुरासिया	1364/12-12-1965	--,,--

यह आदेश आज दिनांक 20-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

एम. एक्का,
सहायक पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.